

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

कमॉक एल1-10/686/2014/ब-7/डीएमसी/चार
प्रति,


भोपाल दिनांक 11/09/2014

आयुक्त,
कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन,
मध्यप्रदेश, भोपाल
फैक्स - 0755-2676030 ।

विषय :- राज्य शासन के कोष से देयक/चेक्स के आहरण के संबंध में।
संदर्भ :- कमॉक एल1-10/361/2014/ब-7/डीएमसी/चार भोपाल दिनांक 04/04/2014
000

संदर्भित आदेश को निरस्त किया जाकर आगामी आदेश तक निम्नांकित प्रकृति के देयको को छोड़कर शेष सभी प्रकृति के ₹ 25 करोड़ से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है :-

- (i) केन्द्रीय वित्त आयोग से संबंधित।
 - (ii) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम के तहत देय वापसियों से संबंधित देयक।
 - (iii) भू-अर्जन से संबंधित राशि।
 - (iv) वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन विभाग द्वारा CAMPA मद में हस्तान्तरित की जा रही राशि।
 - (v) केन्द्रीय मुद्रांक डिपों नासिक के देयक।
- 2/- यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।


(संदीप यादव)

संचालक, बजट,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल
भोपाल दिनांक 11/09/2014

पृ.कं. एल1-10/687/2014/ब-7/डीएमसी/चार
प्रतिलिपि :-

1. शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागाध्यक्ष एवं बजट नियंत्रण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागायुक्त/जिलाध्यक्ष मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
4. वित्त विभाग की समस्त बजट शाखाओं/बजट अधिकारियों की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त कोषालय/उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।


(अजय चौबे)

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल